कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर

दिनांकः 15.05.2026 को जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जंगीपुर खुर्द, पाण्डेयपट्टी, खटौलियाँ, घघरियाँ, करनौली, सिरकोनी, चितौड़ी, पलियाँ पेयजल योजनाओं के हर घर जल प्रमाणीकरण में आ रहे व्यवधानों के निस्तारण हेतु सम्पन्न समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांकः 15.05.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला विकास अधिकारी के कक्ष में अपरान्ह 12:30 बजे जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत जनपद में जंगीपुर खुर्द, पाण्डेयपट्टी, खटौलियाँ, घघरियाँ, करनौली, सिरकोनी, चितौड़ी, पलियाँ पेयजल योजनाओं के हर घर जल प्रमाणीकरण में आ रहे व्यवधानों के निस्तारण हेतु समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा बैठक में निम्न की उपस्थिति रही–

1. जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।
2. श्री शैलेन्द्र सिंह,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/नोडल जल जीवन मिशन, जिला विकास कार्यालय ।
3. श्री अरविन्द कुमार, प्रधान सहायक जिला विकास कार्यालय।
4. श्री राहुल गौतम, सहायक अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, जौनपुर।
5. श्री प्रवीण मुसाले, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) जौनपुर।
6. श्री धर्मेन्द्र सिंह, ए0जी0एम0, मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
7. श्री कुलदीप, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मे0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) जौनपुर।
8. श्री राजन प्रजापति, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।
9. संम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव।

बैठक की कार्यवृत्त का विवरण निम्नानुसार है–

(1). जंगीपुर खुर्द

श्री कुलदीप, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मे0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) जौनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 471 गृह संयोजन के सापेक्ष 540 गृह संयोजन करा दिये गये है। ग्राम सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जंगीपुर खुर्द पेयजल योजना पर निरंतर जलापूर्ति की जा रही है, परन्तु कुछ गृह संयोजन में पानी का प्रेशर कम है जिस कारण से प्रधान द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम सचिव को निर्देशित किया गया हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें और सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर जंगीपुर खुर्द पेयजल योजना पर गृह संयोजनों मे पानी के प्रेशर की समस्या को निरस्तारण करायें, सम्बन्घित ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है जिसके उपरान्त फर्म द्वारा उक्त योजना को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित किया जाये।

(2). पाण्डेयपट्टी

श्री राजन प्रजापति, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर, द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 333 गृह संयोजन के सापेक्ष 566 गृह संयोजन करा दिये गये है एवं हर घर जल प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर हेतु ग्राम प्रधान से सम्पर्क किया जाता है परन्तु ग्राम प्रधान मिलते नहीं हैं, ग्राम सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा कहा जा रहा है लीकेज होने के कारण हर घर जल प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। गृह संयोजन के लीकेज ठीक होने के उपरान्त हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर करेंगें। अवर अभियन्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि ग्राम वासियों द्वारा गृह संयोजन को तोडने के कारण लीकेज उत्पन्न हो रहे है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित ग्राम सचिव को निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम वासियों द्वारा गृह संयोजन को तोड़ा जा रहा है उन्हे चिन्हित कर जियोटैग फोटो के साथ सूची प्रदान करें एवं एक सप्ताह के अन्दर अवशेष कार्य कर हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है जिसके उपरान्त फर्म द्वारा उक्त योजना को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित किया जाये।

(3). खटौलियाँ

श्री राजन प्रजापति, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर, द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 255 गृह संयोजन के सापेक्ष 347 गृह संयोजन करा दिये गये है एवं हर घर जल प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर हेतु ग्राम प्रधान से सम्पर्क किया जाता है परन्तु ग्राम प्रधान मिलते नहीं हैं, ग्राम सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि 50 गृह संयोजन नही किये गये हैं तथा कुछ गृह संयोजन में लीकेज होने के कारण हर घर जल प्रमाणीकरण नही हो पा रहा है। गृह संयोजन एवं लीकेज ठीक होने के उपरान्त हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर करेंगें। अवर अभियन्ता द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि ग्राम वासियों द्वारा गृह संयोजन को तोडने के कारण लीकेज उत्पन्न हो रहे है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित ग्राम सचिव को निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम वासियों द्वारा गृह संयोजन को तोड़ा जा रहा है उन्हे चिन्हित कर ले एवं जियोटैग फोटो के साथ लिस्ट दे एवं एक सप्ताह के अन्दर अवशेष कार्य पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित ग्राम

प्रधान/सचिव द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है जिसके उपरान्त फर्म द्वारा उक्त योजना को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित किया जाये।

(4). घघरियॉं

श्री शेख वली, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर, द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 736 गृह संयोजन के सापेक्ष 706 गृह संयोजन करा दिये गये है एवं हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर हेतु ग्राम प्रधान से सम्पर्क किया जाता है परन्तु ग्राम प्रधान मिलते नहीं हैं। उक्त बैठक में सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव अनुपस्थित थे, जिस कारण से उनके पक्ष की वार्ता नही हो पायी।

(5). करनौली

श्री शेख वली कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर, द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 585 गृह संयोजन के सापेक्ष 450 गृह संयोजन करा दिये गये है एवं जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी थी परन्तु इलेक्ट्रिक पोल का कार्य तथा प्रधान महोदय द्वारा नाली निर्माण के कार्य के द्वौरान पाइप लाइन छतिग्रस्त हो गयी, जिस कारण जलापूर्ति बाधित है। सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 8 माह से जलापूर्ति बन्द है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि अवशेष कार्य पूर्ण कर एवं लीकेज मरम्मत कराने के उपरान्त 1 सप्ताह के अन्दर ग्राम प्रधान एवं सचिव से हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करें।

(6).सिरकोनी

श्री राजन प्रजापति, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर, द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 350 गृह संयोजन के सापेक्ष 361 गृह संयोजन करा दिये गये हैं, एवं हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर हेतु ग्राम प्रधान से सम्पर्क किया जाता है, परन्तु ग्राम प्रधान मिलते नहीं हैं। ग्राम सचिव सिरकोनी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि 10 गृह संयोजन नहीं किये गये हैं जिसके कारण हर घर जल प्रमाणीकरण नहीं हो पा रहा है। गृह संयोजन होने के उपरान्त ही हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर करेंगें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अवशेष कार्य पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है जिसके उपरान्त फर्म द्वारा उक्त योजना को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित किया जाये।

(7).चितौडी

श्री धनेश कुमार जू0इं0 जल निगम जौनपुर, द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 533 गृह संयोजन के सापेक्ष 420 गृह संयोजन करा दिये गये हैं, परन्तु फर्म द्वारा जलापूर्ति नहीं की जा रही है। ग्राम सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ऑपरेटर का मानदेय न मिलने के कारण ऑपरेटर अनुपस्थित है, जिस कारण से नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। ग्राम प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि नियमित जलापूर्ति कराने के बाद ही हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर करेगें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अवशेष कार्य पूर्ण कर नियमित जलापूर्ति एवं हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है जिसके उपरान्त फर्म द्वारा उक्त योजना को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित किया जाये।

(8).पलियॉं

कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर, द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 287 गृह संयोजन के सापेक्ष 210 गृह संयोजन करा दिये गये है तथा शेष गृह संयोजन ग्राम वासियों द्वारा नहीं लिये जा रहें हैं। ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा हयूम पाइप काटने के उपरान्त उसका मानकानुसार रेस्टोरेशन नहीं कराया गया है, हयूम पाइप ठीक कराने के उपरान्त हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर करेगें। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अवशेष कार्य पूर्ण कर हर घर जल प्रमाणीकरण पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है, जिसके उपरान्त फर्म द्वारा उक्त योजना को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सम्मिलित किया जाये।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समाप्त की गयी।

(ऋषिकेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
जौनपुर।

(मीनाक्षी देवी)
जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
जौनपुर।

पत्रांक: 715 /2026-27

दिनांक: 02/2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जौनपुर।
3. मुख्य अभियन्ता(वारा0क्षेत्र)उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
5. प्रतिनिधि, टी0पी0आई0ए0, मेसर्स मेधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0, जौनपुर।
6. श्री पुष्कर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 वेलस्पन कावेरी इन्फ्राप्रोजेक्ट (जे0वी0) जौनपुर।
7. श्री कृपाशंकर सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, जौनपुर।

02/6/2026

जिला विकास अधिकारी
जौनपुर।